राजस्थान सरकार
कार्यालय संयुक्त निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रा0निधि विभाग जयपुर शहर

क्रमांकः– संयु.निदे. / जय.शहर / स्टोर / 2019–20 / 2174-2183 दिनांकः– 13-12-2019

सीमित निविदा सूचना

कार्यालय संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा0निधि विभाग जयपुर शहर पता बीमा भवन, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर हेतु इस वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यालय उपयोग हेतु computer ergonomic chairs,स्टील चेयर्स एवं कम्प्यूटर टेबल जिनकी कुल अनुमानित लागत 1,75,000 / –रूपये है,की आपूर्ति हेतु सम्बन्धित अनुभवी संस्थाओं / फर्मो से दरें आमंत्रित की जाती है। सम्बन्धित संस्था / फर्म को निविदा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 20.12.2019 को मध्यान्ह पश्चात् 3.00 बजे तक कार्यालय के कमरा नं0 34 में प्रस्तुत करनी होगी। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते राजस्थान उपापन पोर्टल ("http.//sppp.raj.nic.in") एवं विभाग की बेबसाईट www.sipf.rajasthan.gov.in से डाउन लोड की जा सकती है। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा0निधि विभाग जयपुर शहर के कार्यालय में कार्यालय समय में दिनांक 20.12.2019 को दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है। प्राप्त निविदाओं को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष क्रय समिति के द्वारा उसी दिन दिनांक 20.12.2019 को सायं 3.30 बजे खोला जायेगा। विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

संलग्नः– निविदा प्रपत्र एवं शर्ते

उप निदेशक,
राज्य बीमा एवं प्रा0निधि विभाग,
जयपुर शहर

क्रमांकः– संयु.निदे. / जय.शहर / स्टोर / 2019–20 / 2174-2183 दिनांकः–13-12-19

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1 अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा0निधि विभाग जयपुर संभाग, प्रथम।

2 मै0 ——————————————————

——————————————————

——————————————————

——————————————————

3 लेखा शाखा जयपुर शहर।

4 सूचना पट्ट मुख्यालय / जयपुर शहर

उप निदेशक,
राज्य बीमा एवं प्रा0निधि विभाग,
जयपुर शहर

राजस्थान सरकार

कार्यालय संयुक्त निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रा0निधि विभाग जयपुर शहर

---

computer ergonomic chairs, स्टील चेयर्स एवं कम्प्यूटर टेबल क्रय करने का निविदा प्रपत्र

1. नाम फर्म/कम्पनी/संस्था ....
   पताः– ....
   ....

   टेलीफोन नं0/मोबाइल नं0 ....
   पैन नं0 ....
   फर्म का रजि. नं0:– ....
   जीएसटी नं0 ....
   बैंक खाता संख्या ....बैंक एवं शाखा का नाम.............................
   आईएफएससी कोड नं0 ....
2. सदर्भ निविदा विज्ञप्ति क्रमांक .... दिनांक.........................
3. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा0निधि विभाग जयपुर शहर में computer ergonomic chairs, स्टील चेयर्स एवं कम्प्यूटर टेबल आपूर्ति हेतु दरें निम्नानुसार है।

क्रसं.	फर्नीचर का विवरण/स्पेसिफिकेशन	क्रय की संभावित मात्रा	प्रति नग दर समस्त कर सहित
1	**computer ergonomic chairs :–** providing medium back revolving chair with steel base having 5 nos specially designed twin wheel castors base with height adjustment with gas lift and lockable at any suitable height. seat &back are made out of polyurethane foam of min. thickness. Arms of the chair are to be made of moduled shelf skin PU arm with steel insert For long life.PP seat & back cover is to be provided.	15 नग	
2	**स्टील चेयर्स:–** steel chair with continuous arms having canning seat and back weight 7 kg. Minimum size- 900X450X450 mm	10 नग	

3	**कम्प्यूटर टेबलः–** computer table top made of 17 mm pre-laminated board and under structure of 2X1"pipe of 16 guage. Having three drawer' keyboard and a bottom shelf. Size -1200X750X750 mm	15 नग	

4. दरें वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए मान्य होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम व पूरा पता

कार्यालय संयुक्त निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रा0निधि विभाग जयपुर शहर

computer ergonomic chairs, स्टील चेयर्स एवं कम्प्यूटर टेबल क्रय हेतु निविदा की सामान्य शर्ते

1 समस्त निविदाएं बन्द एवं सीलबन्द लिफाफे में निविदा सूचना के निर्देशानुसार संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रा0निधि विभाग, जयपुर शहर, जयसिंह हाईवे बनीपार्क, जयपुर के पते पर भिजवायें।

2. निविदा प्रपत्र में दी गई दर किसी भी परिस्थितियों में बदली नही जावें। दरों का इन्द्राज अंकों के साथ–साथ शब्दों में भी किया जावें। कटिंग होने की स्थिति में उस पर लघु हस्ताक्षर के साथ दिनांक अंकित करना आवश्यक है।

3 आप द्वारा प्रस्तुत दरें केवल 31.3.2020 तक के लिए मान्य होगी।

4 सफल निविदादाता द्वारा फर्नीचर आपूर्ति का कार्य किसी अन्य एजेन्सी/फर्म को नही सौपेगा या उप भाड़े (सब्लेट) पर फर्नीचर आपूर्ति नही देगा।

5 फर्म द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले फर्नीचर की वारन्टी अवधि कम से कम एक वर्ष की होगी। फर्नीचर खराब होने पर स्वयं के खर्चे पर ठीक करना होगा।विभाग द्वारा किसी प्रकार की अलग से राशि देय नही होगी।

6 आपूर्ति किये जाने वाले फर्नीचर की जॉच प्रस्तुत स्पेसिफिकेशन के अनुसार कराई जायेगी।

7 आपूर्ति किये जाने वाले फर्नीचर का नमूना विभाग के द्वारा मांगे जाने पर अपने खर्चे पर विभाग को तीन दिवस में प्रस्तुत करना होगा। जिसका उपापन समिति द्वारा अवलोकन एवं गुणवत्ता की जॉच पश्चात् ही आपूर्ति के आदेश जारी किये जायेगें।

8 फर्म को स्पेसिफिकेशन एवं नमूने के अनुसार फर्नीचर की आपूर्ति करनी होगी। स्पेसिफिकेशन एवं नमूने के अनुसार फर्नीचर की आपूर्ति करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। आपूर्ति नमूने एवं स्पेसिफिकेशन के अनुसार नही होने पर आपूर्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।

9 निविदा केवल उन्ही फर्मो /व्यापारियों द्वारा दी जानी चाहिए जो उन वस्तुओं के लिए रजिस्टर्ड या अनुमोदित वितरक हो या उनके द्वारा दिया जाना चाहिए जो वास्तव में उस सामान को बेचते/तैयार करते हो, सप्लायर हो जिसके लिए निविदा दी गई है।

10 निविदा देने वाली फर्म को निविदा की शर्ते भली–भांति पढ लेना चाहिये यदि इसमें कोई सन्देह हो तो निदेशक राज्य बीमा एवं प्रा0निधि विभाग जयपुर से सम्पर्क कर इसका स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेवें।

11 अनुबन्ध/आदेश किसी भी समय भंग किया सकता है। यदि सामग्री की आपूर्ति स्पेसिफिकेशन एवं नमूने के अनुसार नही किया गया हो।

12 निविदा टंकित अथवा स्याही से भरनी होगी। पेंसिल या अन्य वस्तुओं से भरे गये निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा। सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

13 निविदा देने वाले को प्रपत्र के हरे पन्ने पर अन्त में निविदा एवं अनुबन्ध की समस्त शर्तो को मान्य के प्रमाण में हस्ताक्षर करने होगें।

14 सरकार किसी भी निविदा को स्वीकृत करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। यह आवश्यक नही की वह न्यूनतम दरों वाली निविदा को ही स्वीकार करें। यह किसी भी निविदा को उसके कारणों को बताये बिना अस्वीकार/रद्द कर सकती है। निविदादाता द्वारा आमंत्रित की गई मात्रा या वस्तुओं में से सरकार के निर्णयानुसार उन सम्पूर्ण या आंशिक वस्तुओं या मात्रा के लिए आदेश दिये जा सकते है।

15 फर्नीचर की आपूर्ति के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी की आवश्यकता हो तो किसी भी कार्य दिवस में बीमा भवन, जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है।

16 किसी प्रकार का विवाद होने पर उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा0निधि विभाग, जयपुर शहर का निर्णय अन्तिम होगा। विवाद होने पर न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

17 फर्नीचर की आपूर्ति आदेश के अनुसार करनी पड़ेगी। विलम्ब से आपूर्ति की स्थिति में नियमानुसार/शास्ति (एलडी) की कटौती की जायेगी। अधिक विलम्ब की स्थिति में आपूर्ति आदेश निरस्त करने का अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अधिकार होगा।

18 निविदा के सम्बन्ध में उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा0निधि विभाग जयपुर शहर का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

19 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शित अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के सभी उपबन्ध प्रभावी रहेगें। जिसमें निहित शर्तो की पालना के लिए अनुबन्धित फर्म बाध्य होगी।

20 फर्नीचर आपूर्ति हेतु निविदादाताओं द्वारा निर्धारित प्रारूप में दरें दिनांक 18.12.2019 सायं 3.00 बजे तक बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी।

21 सामग्री की आपूर्ति एफओआर बीमा भवन, परिसर में प्रथम मंजिल पर स्थित कार्यालय में करनी होगी। जिसका पृथक से किसी प्रकार का कोई भाडा विभाग द्वारा नही दिया जायेगा।

22 निविदादाता का जीएसटी पंजिकरण एवं पैन नं0 धारक होना अनिवार्य है।,

23 न्यूनतम दरों के साथ ही विषय वस्तु की गुणवता को भी निर्णय करते समय ध्यान मे रखा जायेगा तथा गुणवता को ध्यान मे रखते हुए दरों को कम कराने के सम्बन्ध में बातचीत भी की जा सकती है।

उप निदेशक,
राज्य बीमा एवं प्रा0निधि विभाग
जयपुर शहर

मै/हमनें कार्यालय संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा0निधि विभाग जयपुर शहर द्वारा जारी निविदा संख्या..............वर्ष .... दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तो को भली–भाति पढ़ लिया है। हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तो की पालना करने के लिए सहमत है एवं सहमति के स्वरूप मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम व पूरा पता